मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड ,भोपाल

CIN:U02001MP1975SGC001341

वाहन किराये पर लेने हेतु प्रस्ताव आमंत्रण सूचना

निगम को भोपाल तथा आवश्यकता होने पर अन्य स्थानों पर यात्रा के लिए सर्विस टैक्स हेतु केन्द्रीय आबकारी विभाग में पंजीकृत ट्रैव्हल एजेन्सी /वाहन स्वामियों से वर्ष 2016 मॉडल या बाद की Swift डिजायर या इसी श्रेणी के वाहन जिसकी एक्स शोरुम कीमत रु.6.50 लाख तो तक हो, को 1000 कि0मी0 मासिक रनिंग हेतु एक वर्ष हेतु किराये से लगाने हेतु मोहरबंद प्रस्ताव निर्धारित निविदा प्रपत्र में सत्यंकार राशि रु.10,000/– के बैंक ड्राफ्ट सहित **दिनांक२९/12/2016** को **अपरान्ह 2.00 बजे** तक आमंत्रित किये जाते है। निविदायें उसी दिन **अपरान्ह 3.00 बजे** खोली जावेगी। शर्ते तथा निविदा प्रपत्र निगम के **मुख्यालय से दिनांक 26/12/2016 से** कार्यालय दिवस में कार्यालयीन समय में निःशुल्क प्राप्त किये जा सकते है अथवा निगम की बेबसाईट **www.mpsfdc.com** से डाउन लोड किये जा सकते है।

प्रबंध संचालक

निविदा प्रपत्र

मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, पंचानन ,पंचम तल,मालवीय नगर, भोपाल

किराये पर लिये जाने वाले वाहन हेतु निविदा प्रपत्र

1. वाहन मालिक /ट्रैव्हल एजेन्सी का नाम एवं पता ....
....
(यदि साझा फर्म है तो पार्टनरशिप डीड संलग्न करें)
2. दूरभाष कमांक कार्यालय ....निवास.................................मोबाईल.....
3. फर्म का सर्विस टैक्स हेतु केन्द्रीय आबकारी विभाग का पन्द्रह डिजिट का पंजीकरण कमांक ....
....(प्रतिलिपि लगाये)
4. फर्म का आयकर हेतु पॅन नंबर .... (प्रतिलिपि लगाये)
5. किराये पर दिये जाने वाले वाहन का रजिस्ट्रेशन कमांक..
(रजिस्ट्रेशन,कम्प्रेहेन्सीव बीमा, रोड टैक्स चुकता प्रमाण पत्र तथा अन्य दस्तावेजों की प्रति लगाये ।)

6.वाहन का मेक...

7.वाहन का मॉडल / वर्ष ....

8. विभिन्न मॉडल हेतु प्रस्तावित दर

(I)	मासिक दर 1000 किमी चालन हेतु प्रतिमाह दर (बिना पी.ओ.एल. एवं वाहन चालक के)	स्पिट डिजाइर दर प्रतिमाह	अन्य समकक्ष वाहन हेतु दर प्रतिमाह
(ii)	मासिक दर 1000 किमी चालन हेतु प्रतिमाह दर वाहन चालक सहित (बिना पी.ओ.एल. के)		
(iii)	मासिक दर 1000 किमी चालन हेतु प्रतिमाह दर पी.ओ.एल. एवं वाहन चालक सहित		
(iv)	1000 किमी से अधिक चालन पर प्रति किमी दर		

9.निविदा के साथ अमानत राशि के रुप में जमा की गई राशि के एफ.डी.आर. का विवरण–एफ.डी. आर.कमांक..दिनांक.................... राशि............................बैंक का नाम........

10.निविदाकार का घोषणा–पत्र (घोषणा–पत्र पूर्णरुप से भरकर संलग्न किया जावे ।)

संलग्न– उपरोक्तानुसार ।

वाहन मालिक/निविदाकार के हस्ताक्षर........................

नाम एवं पता...

D:\RL NAKHARE\VEHICLE CORROSPONDENCE.doc

म.प्र. राज्य वन विकास निगम लि.
पंचानन, पंचमतल, मालवीय नगर
भोपाल (म.प्र.) 462003

11. वाहन संबंधित कार्यालय के नियंत्रण में तथा उनके कार्यो के आवश्यक्तानुसार अधिन रहेगी एवं वाहन के संपूर्ण आवागमन का सत्यापन आदि भी संबंधित कार्यालय द्वारा किया जावेगा।

12. वाहन किराये का भुगतान प्रत्येक माह की समाप्ति के पश्चात अनुबंध के अनुसार निर्धारित दरों पर वाहन मालिक के बिल के सत्यापन के पश्चात किया जावेगा। प्रत्येक बिल से 5 प्रतिशत राशि सिक्योरिटी डिपॉजिट के रुप में निगम कार्यालय के पास जमा रहेगी। जिसे अनुबंध अवधि समाप्ति के बाद लौटाया जावेगा।

13. वाहन के निर्धारित मुख्यालय से बाहर रहने की दशा में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त किराया देय नहीं होगा।

14. निविदा में दी गई प्रतिमाह दर तथा अतिरिक्त प्रतिकिलो मीटर की दर के अलावा कोई अन्य राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा।

15. वाहन द्वारा प्रवास के दौरान वाहन में यात्रा संबंधित कोई असुविधा होने पर मालिक अपनी व्यवस्था से स्थान तक स्वयं के व्यय से पहुँचाने एवं लाने हेतु उत्तरदायी रहेगा, जिसके लिये कोई दावा मान्य नहीं होगा।

16. अनुबंध अवधि में वाहन के किराये में कोई परिवर्तन नहीं होगा और कोई अन्य शर्त मान्य नहीं होगी। यदि उल्लेखित शर्तो के अतिरिक्त ऑफर में अन्य शर्त दी जाती है तो निविदा निगम को मान्य नहीं होगी।

17. सभी प्रकार के टैक्स, मोटर यान कर, बीमा आदि का भुगतान वाहन मालिक द्वारा किया जावेगा।

18. वाहन पर मांग करने पर वैध लायसेंस धारित वाहन चालक को रखा जावेगा। ड्रायवर को समय का पाबंद अच्छे व्यवहार व मदिरा/अन्य व्यसन रहित होना आवश्यक है। वाहन चालक को 12 घंटे ड्यूटी देनी होगी।

19. दौरे पर ड्रायवर को किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ते की पात्रता नहीं होगी।

20. वाहन में किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने अथवा यातायात या अन्य नियमों का उल्लंघन होने पर संपूर्ण जवाबदारी वाहन चालक एवं वाहन मालिक की होगी। यदि किसी भी प्रकार की घटना में निगम के किसी अधिकारी/कर्मचारी को न्यायालय में उपस्थित होना पड़ता है तो उसका संपूर्ण व्यय वाहन मालिक द्वारा वहन किया जावेगा।

21. वाहन में ले जाई जा रही सामग्री का नुकसान होने की दशा में उसकी आर्थिक भरपाई वाहन मालिक वहन करेगा।

22. वाहन में किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री का परिवहन नहीं किया जावेगा। वाहन मे प्रतिबंधित सामग्री पाये जाने पर वाहन चालक एवं वाहन स्वामी का उत्तरदायित्व होगा।

23. उक्त अनुबंध 12 माह के अवधि के लिये मान्य होगा परन्तु वाहन की कार्य हेतु उपयुक्तता एवं चालक के कार्य संपादन की गुणवत्ता को देखते हुए स्वीकृति दर/अथवा स्वीकृति से कम दर पर, अनुबंध की अवधि प्रबंध संचालक, वन विकास निगम द्वारा/अधिकृत अधिकारी द्वारा आवश्यक्तानुसार कम की जा सकती है अथवा बढ़ाई जा सकेगी परन्तु किसी दशा में अनुबंध की अवधि में स्वीकृत दर अधिक दर पर नहीं बढ़ाई जावेगी। अनुबंध की अवधि में निगम या वाहन मालिक अनुबंध को निरस्त करना चाहता है तो कम से कम एक माह पूर्व नोटिस दिया जाना आवश्यक होगा।

म.प्र. राज्य वन विकास निगम लि.
पंचानन, पंचमतल, मालवीय नगर
भोपाल (म.प्र.) 462003

24. टेण्डर में दी गई दरे वर्तमान में प्रचलित एवं भविष्य में लागू होने वाली सेवाकर (सर्विस टैक्स) सहित मान्य होगी। किसी भी प्रकार के कर पृथक से देय नहीं होगें।

25. निविदाकार/वाहन स्वामी को केन्द्रीय उत्पाद कर (सेन्ट्रल एक्साइज ड्यिूटी) विभाग के अंतर्गत नियमानुसार सर्विस टैक्स हेतु पंजीकृत होना आवश्यक होगा एवं उसका पंजीयत कमांक निविदा प्रपत्र एवं देयको पर अंकित होना आवश्यक है तथा क्षेत्रीय राज्य परिवहन निगम में रजिस्टर्ड होना आवश्यक है।

26. देयक से नियमानुसार समय–समय पर प्रचलित आयकर (टी.डी.एस.) की कटौती की जावेगी। इस हेतु वाहन मालिक को फर्म/व्यक्ति के प्रकरण में व्यक्ति का **PAN** देना होगा जिसका उल्लेख निविदा/देयको पर होना अनिवार्य है। इसी आधार पर संबंधित को टी.डी.एस. प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा।

गवाह के हस्ताक्षर :–

(1) ....

(2) .... **हस्ताक्षर वाहन मालिक**

निमित्त म. प्र. राज्य वन विकास निगम लिमिटेड

म.प्र. राज्य वन विकास निगम लि.
पंचानन, पंचमतल, मालवीय नगर
भोपाल (म.प्र.) 462003